संख्या: 8/2022/190/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2022

प्रेषक,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊः दिनांक:29 मार्च,2022**

विषयः-ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2021-22 में मद संख्या-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-4756/ए-लेखाआयोजनेत्तर मद-बजट/2020-21, दिनांक 02 मार्च, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) उ0प्र0 को आय–व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत अभिकरण के प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मद संख्या-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 15,00,000/- में से शासनादेश संख्या-670/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2021, दिनांक 30 जून, 2021 धनराशि रू0 3,75,000/- लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। अत: अवशेष बची धनराशि रू0 11,25,000/- (रू0 ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनुसचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन / पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं.-वि.वि.-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021 / बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 तथा समयसमय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाशीर्षक-"2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत–0303–केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3480-दस-2021-22, दिनांक 28 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव ।</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 प्रयागराज ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।